तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट पर बहस हेतु दिनांक 4/6/25 को पेश हो। Rajend… सहायक कलेक्टर बापिणी	
4/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Rajend… सहायक कलेक्टर बापिणी	

Reader
Check & Report
भारती
14/08/24

1रु. कोर्ट फी Re.1
COURT FEE
भारत INDIA
एक रुपया ONE RUPEE

"FORM" I

(See rules 68)

Application

For permission under sub-section (1) 251-A of
The Rajasthan Tenancy Act,1955

To

The Sub-Divisonal Officer
Sub-division Bapini.

Dist-Phalodi

Sir,

(1) I/we am/are khatedar tenant (s) holding land in your sub-division and I/We intend to lay an underground pipeline /new way/enlargement or widening of an existing way through the holding of ...*Non Applicant* .. for the purpose of irrigation/access in my/our holding and I/We there fore namely for permission under sub – section (1) of section 251-A of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act no 3 of 1955).

(2) The required particulars are given below :

1- Name parentage and age of the applicant(s)...**Ghewar Ram S/o Jeevanram, By caste Meghwal**

2- Full address of the applicant(s) ...***R/O Vill- Sadri Present Bedu kala Tehasil Bapini Dist. Phalodi***

3- Particulars of applicant holding;.

(a) Name of Village with name of sub-division in which holding is situated ***Vill- Bedu Kala, Sub-division Bapini***

(b) Khasra number with area in acres/bighas...
Khasra Number 45/2 Rakba 3.2375 Hectare

4- Particulars of another khatedar(s) holding through which intends to lay underground pipeline/new way/enlargement or widening of an existing way required.

(a) Name parentage and age .....
Amrit Lal S/o Likhamaram, Ratnaram S/o Fusaram B/c Mali

(b) Full address **Village Mathaniya present Bedu Kala,**

(c) Name of village with name of sub-division in which holding is situated ***Vill- Bedu Kala Sub-division Bapini***

(d) Khasra number with area in acres/bighas Khasra No. **44/3, 44/6**

Signature of Applicant (s)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी

बापिणी।

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– /2024

प्रार्थीः– घेवरराम पुत्र श्री जीवणराम, जाति मेघवाल, निवासी सदरी, हाल निवासी बेदू कला, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. अमृतलाल पुत्र श्री लिखमाराम, जाति माली, निवासी मथानिया हाल निवासी बेदू कला, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।
2. रतनाराम पुत्र श्री फुसाराम, जाति माली, निवासी मथानिया हाल निवासी बेदू कला, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।
3. श्रीमान् तहसीलदार बापिणी।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मान्यवरजी,

निवेदन प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार हैंः–

1. यह हैं कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 45/2 रकबा 3.2375 हैक्टेयर मौजा ग्राम बेदू कला तहसील बापिणी जिला फलोदी की सरहद में आई हुई है। जिसमें खातेदार काश्तकार की हैसियत से लगातार शान्तिपूर्वक प्रार्थी का कब्जा व काश्त चला आ रहा है जिसमें नलकूप खुदा हुआ है जिससे सिंचाई कर काश्त की जा रही है। उक्त भूमि के चालु जमाबन्दी व नक्शे की प्रति संलग्न है।
2. यह हैं कि प्रार्थी की भूमि के उत्तरी तरफ अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 44/3 व 44/6 है तथा खसरा नम्बर 44/6 की उत्तरी–पश्चिमी सीमा पर सड़क चलती है। प्रार्थी की भूमि में आवागमन के लिए आपसी मेल–मिलाप के लिहाज से आते–जाते थे परन्तु पिछले 1–2 महिने से अप्रार्थीगण ने मेरे को अपने खेत खसरा नम्बर 44/3 व 44/6 में आवागमन अवरूद्ध कर दिया। प्रार्थी के पड़ौसी पूर्व की तरफ जेठूकंवर पत्नी श्री भूरसिंह वगैरा राजपूत के

खसरे में से होकर आते–जाते थे परन्तु हाल ही में राजपूतों ने रास्ते से चलने से मना कर दिया। मैं पचास फीट खसरा नम्बर 61 में से होकर अप्रार्थीगण की भूमि में से वैकल्पिक रूप से आता–जाता था और राजपूतों के लिए वैकल्पिक रूप से नजरी नक्शे में दर्शाये गये मार्क ए से बी रास्ता बाधित नहीं है केवल मात्र मेरे वैकल्पिक रास्ते को जानबूझकर ए से बी व बी से सी तक रास्ते से आवागमन हेतु मना कर दिया इसके अलावा प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस रास्ते के अभाव में मुझे इस वर्ष खेती करने से भी वंचित रख दिया है इन्होंने जानबूझकर दस लाख की ट्युबवैल पर फसल से महरूम कर दिया है। उसमें लगे तमाम पम्प मोटर, केबल फव्वारे सारे खराब हो रहे है चारों तरफ के पड़ौसियों ने मेरे उपर मानसिक दबाव बना रखा है कि प्रार्थी को किसी तरफ से आने मत दो यह मजबूर होकर हमें सस्ते भाव में ये जमीन बेचकर चला जायेगा। प्रार्थी के आवागमन हेतु एक मात्र यही रास्ता है जो नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी दर्शाया गया है तथा वहीं से खाद बीज, फसल इत्यादि लाता ले–जाता है। लेकिन राजस्व रेकर्ड व नक्शे में उक्त रास्ता दर्ज नहीं हैं, इसलिए अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया तथा रास्ते से जाने पर झगड़ा करते है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं तथा यह रास्ता प्रार्थी के लिए नजदीकी व लघुतम रास्ता हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच पारस्परिक सहमति से उक्त रास्ते का निस्तारण नहीं हुआ। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1,2 की उक्त भूमि में से प्रार्थी को 20 फिट चौड़ा रास्ता दिया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं तथा उक्त रास्ते बाबत् प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु पूर्ण रूप से तैयार हैं।

3. यह हैं कि प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित भूमि ग्राम बेदु कला, तहसील बापिणी, जिला फलोदी की सरहद में आई हुई हैं जिसके बाबत् प्रार्थना पत्र श्रवण कर निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त हैं तथा नियमानुसार न्यायालय शुल्क 1/– रूपये अलावा तलबाना प्रस्तुत हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 45/2 रकबा 3.2375 हैक्टेयर मौजा ग्राम बेदू कला तहसील बापिणी जिला फलोदी में आवागमन हेतु 20 फिट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 44/3 व 44/6 में से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये गये मार्क ए बी सी तक दिये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जाकर नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें जिसकी पालना अप्रार्थी संख्या 3 से करवाई जावें।

जरिये अधिवक्ता N.R. Bishnoi Adv. 14/8/24 प्रार्थी